कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण, रोक और उपाय के कानून को लागू करने की ज़िम्मेदारी सरकार और नियोक्ता (मालिक) दोनो की है।

यौन उत्पीड़न के तहत आनेवाले व्यवहार

महिला की इच्छा के खिलाफ़ होनेवाले यह कार्य यौन उत्पीड़न मे शामिल हैं:

- छूना या छूने की कोशिश करना
- शारीरिक रिश्ता बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना
- यौन स्वभाव की बातें या व्यवहार करना
- यौन स्वभाव की तस्वीरें और सामग्री दिखाना

ये सारे कार्य अक्सर महिला के लिए कार्यस्थल पर भयपूर्ण माहौल बनाते हैं। कभी-कभी ये कार्यस्थल पर उनकी तरक्की या नुकसान की शर्त बन जाते हैं।

कानून के दायरे में आनेवाले कार्यस्थल

नीचे दिए गए कार्यस्थल पर काम के दौरान या काम के सिलसिले में कहीं भी किसी भी समय यौन उत्पीड़न होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है:

औपचारिक क्षेत्र : निजी व सरकारी दफ्तर, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, स्कूल-कालेज, खेल की संस्था और प्रतियोगिता स्थल इत्यादि

अनऔपचारिक क्षेत्र : ईंट भट्ठी, मनरेगा स्थल, किराने की दुकान, घरेलू श्रमिक इत्यादि

संगठित क्षेत्र में नियोक्ता की ज़िम्मेदारी

- यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) गठित करना
- आई.सी.सी के सुझाव पर दोषी के खिलाफ़ कदम उठाना
- कार्यस्थल पर कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न की रोकथान के लिए जागरूक करना

असंगठित क्षेत्र, और 10 से कम कार्यकर्ताओं वाले संगठित क्षेत्र की संस्था के लिए

सरकार द्वारा नियुक्त ज़िला अधिकारी की जिम्मेदारियाँ :

- स्थानीय शिकायत समिति (एल.सी.सी.) को गठित करना
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड/नगर पालिका और तालुका/ब्लॉक/तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना जो यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करे
- एल.सी.सी. के सुझाव पर दोशी के खिलाफ़ कदम उठाना
- महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता फैलाना